पत्रांक-बजट-36-मु0व्य0दु0बी0यो0/ / (बाधित अवधि)/ 561 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0

(बजट अनुभाग)

लखनऊ // दिनॉक // 23-9. 2021

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0),

वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश।

विषय :- पंजीकृत व्यापारियो के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना बाधित अवधि (दि0 15-06-2018 से वर्तमान) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने विषयक।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-आई0टी0-निवेश मित्र(जनहित गारण्टी)-(2020-21)/133/ 2021005/ वाणिज्य कर, दिनांक 22-06-2020 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित प्रकरणों को दर्पण डैशबोर्ड से इन्टीग्रेट किये जाने हेतु, प्राप्त प्रकरणों को आई0टी0 द्वारा बनाये गये निर्धारित माड्यूल पर फीड किये जाने के निर्देश दिये गये थे तथा आप द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अपनाते हुए प्रकरणों को माड्यूल में फीड भी किया जा रहा है।

वर्तमान में आई0टी0 अनुभाग द्वारा एक नया माड्यूल मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना हेतु बनाया गया है, जो **VYAS Cental Module में Helpdesk के अन्दर Vyapari Durghatna Beema New Praroop Link** पर प्रदर्शित हो रही है। जिससे सम्बन्धित User मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी अवगत कराना है कि पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत, जिन प्रकरणों में मुख्यालय द्वारा भुगतान की संस्तुति करते हुए बजट का आवंटन आपके कार्यालय को किया जा चुका है, उन प्रकरणों में से बहुत से प्रकरण अभी भी माड्यूल में पेंडिग दिखा रहे है, जिसे आहरण वितरण अधिकारी के स्तर से Dispose होना है। प्रकरणों के Dispose न होने के कारण दर्पण पोर्टल पर बहुत सी पेंडेन्सी दिखायी दे रही है, जो उचित नही है।

अत: आपको निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित समस्त फीडिंग Userमैनुअल के अनुसार नये माड्यूल में की जायेगी तथा पुराने माड्यूल में उल्लिखित प्रकरण, जिसमें मुख्यालय स्तर से बजट का आवंटन किया जा चुका है, को भी Dispose कर दिया जाए, ताकि दर्पण पोर्टल पर सही स्थिति प्रदर्शित हो सके।

संलग्नक:-यथोपरि।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत Online कार्य हेतु आप अपने स्तर से पुराने माड्यूल में फीडिंग को रोकने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कराने का कष्ट करें। Offline निस्तारण की स्थिति के सम्बन्ध में विवरण संलग्न है।

3- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम, कमिश्नर कैम्प, मुख्यालय को कमिश्नर, महोदया के अवलोकनार्थ।

4- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(शैलेश गिरि)

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

FLOW DIAGRAM FOR VYAPARI DURGHATNA BIMA YOJANA (PART -1)

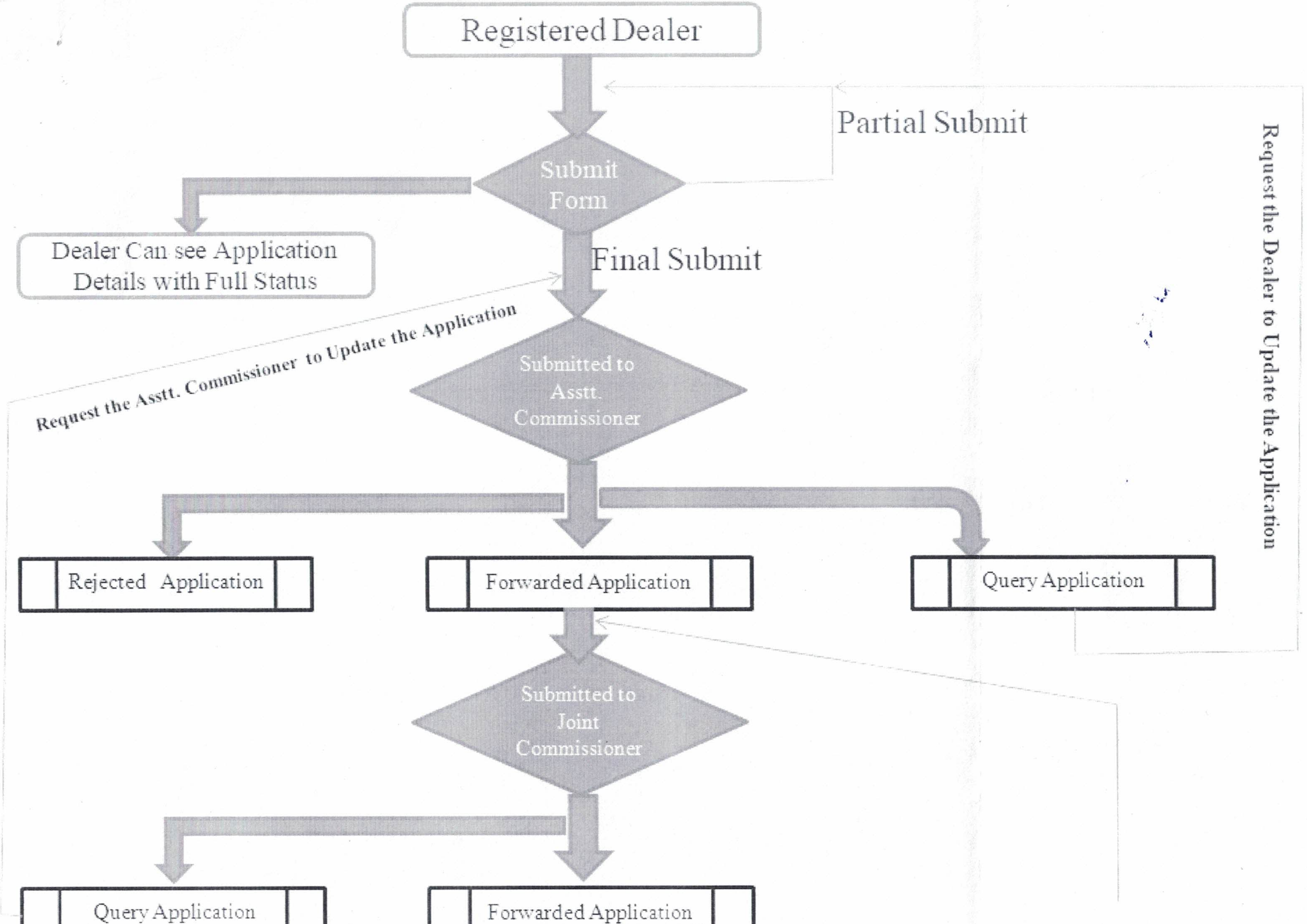

FLOW DIAGRAM FOR VYAPARI DURGHATNA BIMA YOJANA (PART -2)

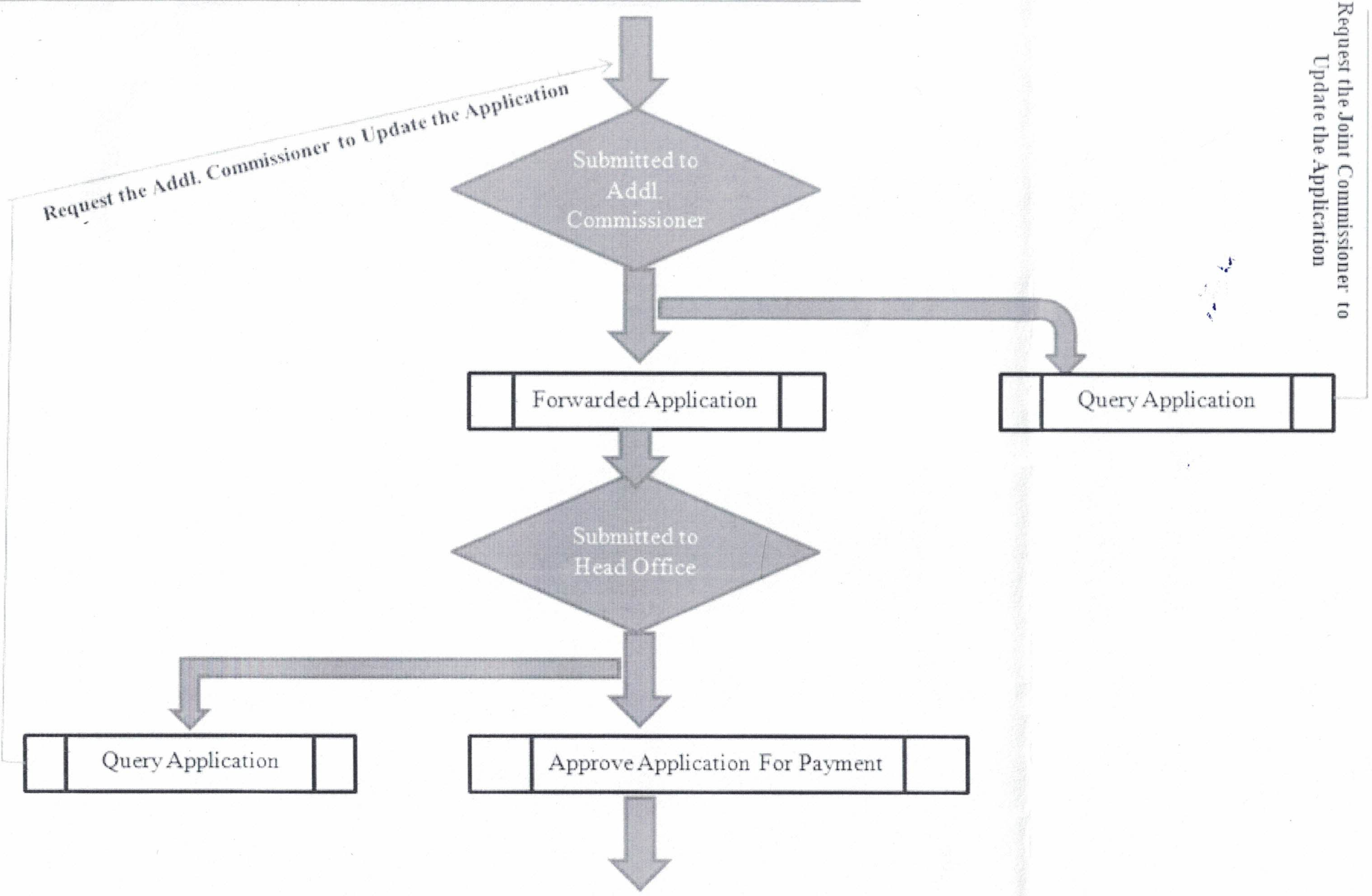
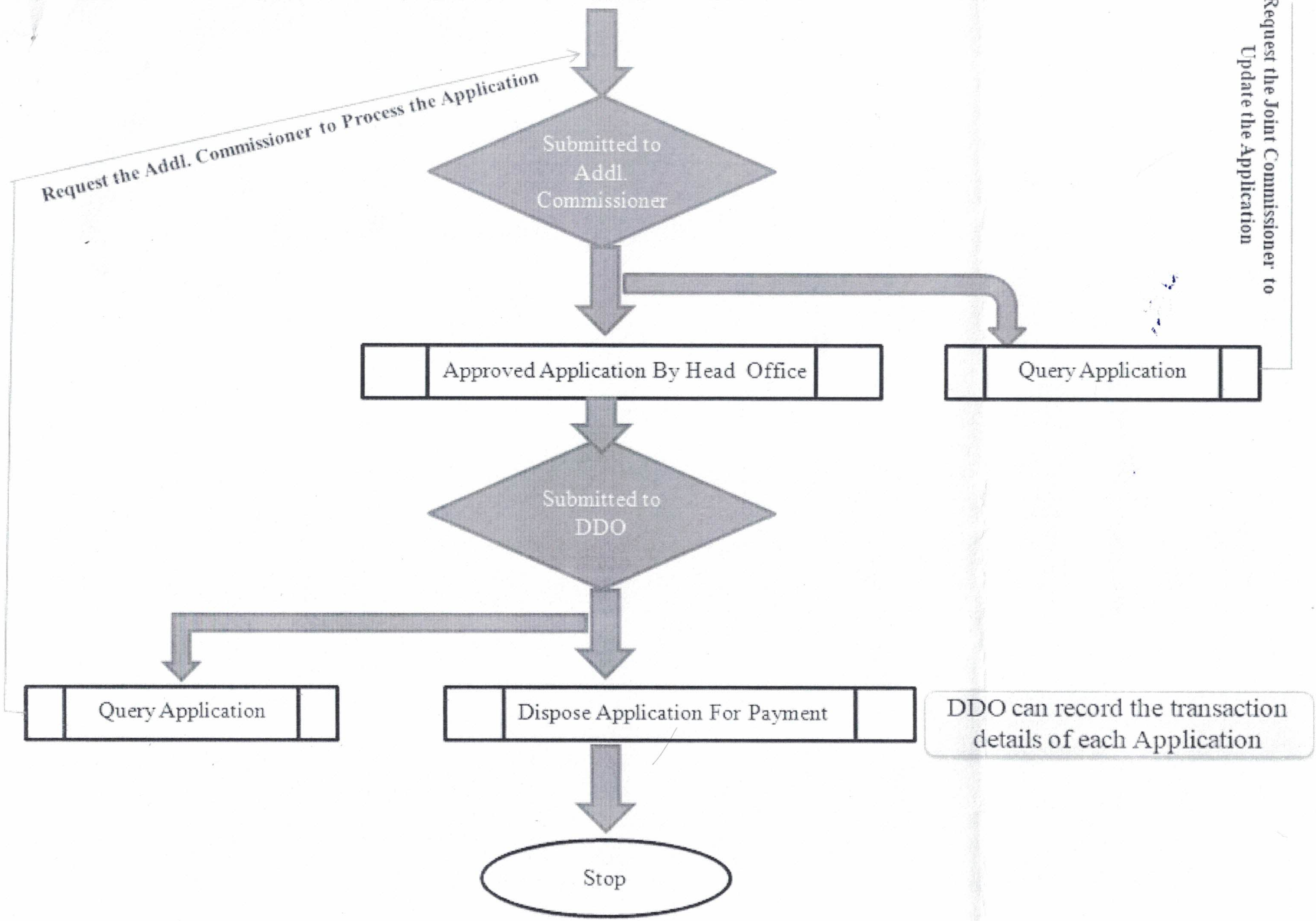
FLOW DIAGRAM FOR VYAPARI DURGHATNA BIMA YOJANA (PART -3)